


राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक:- एफ 5(31)लेखा/प्रकीर्ण/मिटिंग/ऑडिट समिति/ 2017-18/

दिनांक:-


संशोधित आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3760-3868 दिनांक 17.03.2021 में आंशिक संशोधित करते हुए क्र.स 2 पर अंकित कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, भरतपुर में आयोजित शिविर दिनांक 05.04.2021 से 06.04.2021 के स्थान पर दिनांक 06.04.2021 से 07.04.2021 को आयोजित किया जाता है ।

  
(डॉ विरेन्द्र सिंह)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ 5(31)लेखा/प्रकीर्ण/मिटिंग/ऑडिट समिति/ 2017-18/4244-48 दिनांक:- 24/3/2024  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं संबंधित कार्मिको को पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, निदेशक पशुपालन विभाग, राज. जयपुर ।
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार निदेशालय पशुपालन विभाग, राज. जयपुर ।
3. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, भरतपुर ।
4. श्री जयनारायण वर्मा वरिष्ठ लेखाधिकारी निदेशालय पशुपालन विभाग, को पालनार्थ ।
5. श्री डालचन्द, सहायक लेखाधिकारी -द्वितीय कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, भरतपुर को पालनार्थ ।

  
वित्तीय सलाहकार

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय पशुपालन विभाग, राज. जयपुर**

क्रमांक: एफ.5(1)लेखा/प्रकीर्ण/2017-18/

दिनांक :-

**कार्यालय आदेश**

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1A के नियम 12 के अनुसार निम्नलिखित कार्यालयों का वर्ष 2020-21 के दौरान (भण्डार) भौतिक सत्यापन करने हेतु उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्यालय जिनका भौतिक सत्यापन किया जाना है।	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम
1.	संयुक्त निदेशक, राजस्थान पशुधन प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जामडोली, जयपुर	उप निदेशक, प्रमाणीकरण, प्रा.प.चि.जै. इकाई, जयपुर
2.	अतिरिक्त निदेशक, प्रा.प.चि.जै. इकाई, जयपुर	उपनिदेशक, पशुपोषाहार संस्थान, जामडोली, जयपुर
3.	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. जोधपुर	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. बीकानेर
4.	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. उदयपुर	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. कोटा
5.	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. कोटा	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. अजमेर
6.	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. अजमेर	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. उदयपुर
7.	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. भरतपुर	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. जयपुर
8.	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. बीकानेर	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. जोधपुर
9.	निदेशालय, प.पा.भण्डार, जयपुर	संयुक्त निदेशक पशुधन फार्म एवं चारा निदेशालय, जयपुर
10.	संयुक्त निदेशक, प्राक्कलन, प.पा.वि. जयपुर	संयुक्त निदेशक, प्रजनन, जयपुर
11.	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प.पा.वि. जयपुर	उप निदेशक (कुक्कुट), निदेशालय, जयपुर
12.	संयुक्त निदेशक (पैथालोजिस्ट), राज्य रोग निदान केन्द्र, पांचवती, जयपुर	संयुक्त निदेशक, गौशाला एवं प्रजनन निदेशालय, जयपुर
13.	उप निदेशक, (पोल्ट्री लैब), गांधीनगर, जयपुर	सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, प.पा.वि. जयपुर
14.	उप निदेशक, कुक्कुटशाला, खातीपुरा, जयपुर	उप निदेशक, पोल्ट्री लैब, गांधीनगर, जयपुर
15.	उप निदेशक, पशु पोषाहार संस्थान, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), प्रा.प.पा.वि. इकाई, जयपुर

उपरोक्त अतिरिक्त निदेशक, अपने कार्यालयों का भौतिक सत्यापन कराने के साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/चिकित्सालयों/पशु प्रजनन फर्मों आदि के भौतिक सत्यापन के आदेश अपने स्तर से प्रसारित करते हुए दिनांक 26.04.2021 तक आवश्यक रूप से संलग्न प्रपत्र में भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक अपने कार्यालय के साथ-साथ उनके अधीनस्थ सभी पशु चिकित्सालयों, संस्थाओं, पॉली क्लिनिकों सहित भौतिक सत्यापन पूर्ण कराये जाने के पश्चात ही प्रमाण-पत्र भेजें। जिसका उल्लेख प्रपत्र में करेंगे। "साथ ही भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा लेखाकर्मी लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड I/सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड II/कनिष्ठ लेखाकार को आवश्यक रूप से भौतिक सत्यापन के दौरान साथ लिया जावें"।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों का भौतिक सत्यापन निर्धारित समय पर करवाकर समेकित भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, निश्चित अवधि तक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने पर शासन को सूचना भेजने में होने वाले विलम्ब के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

प्रपत्र संलग्न है




(डॉ. विरेन्द्र सिंह)  
निदेशक

क्रमांक: एफ.5(1)लेखा/प्रकीर्ण/2017-18/ 4250-4360

दिनांक :- 24/3/2024

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, (उत्पादन)/स्वास्थ्य, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक, बी.पी. लैब, पशुपालन विभाग जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
6. संयुक्त निदेशक, कुक्कुट, पशुपालन विभाग जयपुर को भेजकर लेख है कि उनके अधीनस्थ कार्यालय के भौतिक सत्यापन करवाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
7. समस्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग।
8. प्रभारी (भण्डार) अधिकारी, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
9. उप निदेशक (प्रशिक्षण) निदेशालय, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
10. उप निदेशक पोल्ट्री लैब, पशुपालन विभाग, जयपुर।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को तुरन्त ई-मेल करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार